संख्या:-04/2022/17आ0/23-5-22-27(भवन)/2020

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2021**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद झांसी, रामपुर, सहारनपुर, उन्नाव, मथुरा, बरेली, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बिजनौर, गोण्डा, गाजीपुर, आजमगढ़, लखनऊ, प्रतापगढ़ व वाराणसी के कुल 18 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55 राजस्वलेखा के विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद झांसी, रामपुर, सहारनपुर, उन्नाव, मथुरा, बरेली, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बिजनौर, गोण्डा, गाजीपुर, आजमगढ़, लखनऊ, प्रतापगढ़ व वाराणसी के कुल 18 कार्यों हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत रू0 392.12 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **रू0 38.95 लाख (रू0 अड़तीस लाख पन्चानबे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
				(धनराशि लाख रू0 में)	
1	705बीजीबी/112बीजीबी/झांसी/कार्यालय भवन/अना0/2021-22, दिनांक 22.12.2021	झांसी	झांसी में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1(प्र0प0), लो0नि0वि0, झांसी की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	20.73	02.00
2	853बीजीबी/112बीजीबी/मुरादाबाद/नि0भ0/अम्बेडकर पार्क/अना0/2021-22, दिनांक 22.12.2021	रामपुर	रामपुर में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन (डा0 अम्बेडकर पार्क) की मरम्मत व सुधार कार्य।	17.83	01.50
3	827बीजीबी/112बीजीबी/सहारनपुर/नि0भ0/अना0/2021-22, दिनांक 30.12.2021	सहारनपुर	सहारनपुर में निरीक्षण भवन की मरम्मत का कार्य।	15.72	01.50
4	783बीजीबी/112बीजीबी/मध्य क्षेत्र/उन्नाव/नि0भ0/अना0/2021-22, दिनांक 31.12.2021	उन्नाव	उन्नाव में निरीक्षण भवन लो0नि0वि0, उन्नाव के जीर्णोद्धार का कार्य।	09.52	01.00
5	905बीजीबी/112बीजीबी/आगरा/मथुरा/निरीक्षण भवन/अना0/2021-22, दिनांक 31.12.2021	मथुरा	मथुरा में बल्देव निरीक्षण भवन की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	08.68	01.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	954बीजीबी / 112बीजीबी / वि0 / यॉ0 / बरेली / सर्किट हाउस / अना0 / 2021-22, दिनांक 31.12.2021	बरेली	सर्किट हाउस बरेली के भवन की विशेष मरम्मत के अन्तर्गत पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।		24.91	2.50
7	723बीजीबी / 112बीजीबी / अलीगढ़ / स0हा0 / अना0 / 2021-22, दिनांक 31.12.2021	अलीगढ़	अलीगढ़ सर्किट हाउस की साज-सज्जा एवं सुधार का कार्य।		17.97	01.50
8	875बीजीबी / 112बीजीबी / बरेली / शाहजहांपुर / का0भ0 / अना0 / 2021-22, दिनांक 31.12.2021	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर स्थित प्रान्तीय खण्ड व निर्माण खण्ड-2 के कार्यालय भवन की विशेष मरम्मत के साथ रंगाई-पुताई का कार्य।		33.92	03.00
9	872बीजीबी / 112बीजीबी / मुरादाबाद / नि0भ0 / अना0 / 2021-22, दिनांक 31.12.2021	बिजनौर	बिजनौर में निरीक्षण भवन चॉंदपुर की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।		03.94	01.00
10	919बीजीबी / 112बीजीबी / दे0पा0(गो0) / स0हा0 / अना0 / 2021-22, दिनांक 31.12.2021	गोण्डा	गोण्डा में सर्किट हाउस की मरम्मत एवं रेनोवेशन के कार्य।		32.60	03.00
11	895बीजीबी / 112बीजीबी / वाराणसी / गाजीपुर / निरीक्षण भवन / अना0 / 2021-22, दिनांक 31.12.2021	गाजीपुर	गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर ब्लॉक स्थित निरीक्षण भवन के विशेष मरम्मत का कार्य।		27.13	02.00
12	695बीजीबी / 112बीजीबी / वि0 / यॉ0 / आजमगढ़ / सर्किट हाउस / अना0 / 2020-21, दिनांक 31.12.2021	आजमगढ़	सर्किट हाउस आजमगढ़ के पुन: विद्युतीकरण व अन्य उपकरण बदलने का कार्य।		52.41	05.00
13	775बीजीबी / 112बीजीबी / आजमगढ़ / ट्रांजिट हास्टल / अना0 / 2021-22, दिनांक 31.12.2021	आजमगढ़	आजमगढ़ में ट्रांजिट हास्टल कोटवा के भवनों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।		35.91	02.00
14	869बीजीबी / 112बीजीबी / वि0 / यॉ0 / लखनऊ / नि0भ0 / अना0 / 2021-22, दिनांक 31.12.2021	लखनऊ	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ परिसर स्थित निरीक्षण भवन में स्थापित मा0 उप मुख्यमंत्री जी के कैम्प कार्यालय में वातानुकूलन संयंत्रों की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।		04.03	01.00
15	811बीजीबी / 112बीजीबी / 39वां वृत्त / लखनऊ / अना0 / 2021-22, दिनांक 31.12.2021	लखनऊ	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय परिसर स्थित नवीन भवन के अधोतल एवं भूतल पर विभिन्न सिविल कार्य।	सिविल कार्य	07.10	01.00
				विद्युत कार्य	02.09	01.00
16	813बीजीबी / 112बीजीबी / प्रयागराज / नि0भ0 / अना0 / 2021-22, दिनांक 28.12.2021	प्रतापगढ़	निरीक्षण भवन सदर, प्रतापगढ़ की मरम्मत का कार्य।	सिविल कार्य	24.83	02.00
				विद्युत कार्य	07.03	01.00
17	तदैव	तदैव	निरीक्षण भवन पट्टी, प्रतापगढ़ की मरम्मत का कार्य।	सिविल कार्य	11.69	01.50
				विद्युत कार्य	03.34	01.00
18	835बीजीबी / 112बीजीबी / वाराणसी / सर्किट हाउस / अना0 / 2021-22, दिनांक 22.12.2021	वाराणसी	वाराणसी में सर्किट हाउस वाराणसी के कक्षों का रिनोवेशन एवं अन्य विविध कार्य।	सिविल कार्य	21.29	02.00
				विद्युत कार्य	09.45	01.45
कुल योग :-					**392.12**	**38.95**

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-053-रख-रखाव तथा मरम्मत-06-सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत-00-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

..../04..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-04/2022/17आ0(1)/23-5-2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उपमुख्यमंत्री जी/मा0 विभागीय मंत्री जी, उ0प्र0।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी झांसी, रामपुर, सहारनपुर, उन्नाव, मथुरा, बरेली, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बिजनौर, गोण्डा, गाजीपुर, आजमगढ़, लखनऊ, प्रतापगढ़ व वाराणसी।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(म0क्षे0)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, मुरादाबाद क्षेत्र, सहारनपुर क्षेत्र, आगरा क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, बरेली क्षेत्र, देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र, वाराणसी क्षेत्र, आजमगढ़ क्षेत्र व प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0।
10- अधीक्षण अभियन्ता, झांसी वृत्त, रामपुर वृत्त, सहारनपुर वृत्त, उन्नाव वृत्त, आगरा वृत्त, 47वां(वि0/यॉ0) वृत्त, अलीगढ़ वृत्त, बरेली वृत्त, गोण्डा वृत्त, जौनपुर-गाजीपुर वृत्त, 44वां(वि0/यॉ0) वृत्त, आजमगढ़ वृत्त, 30वां(वि0/यॉ0) वृत्त, 39वां वृत्त, प्रतापगढ़ वृत्त व वाराणसी वृत्त, लो0नि0वि0।
11- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सहारनपुर।
14- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उन्नाव।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मथुरा।
16- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, बरेली।
17- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़।
18- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर।
19- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, शाहजहांपुर।
20- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गोण्डा।
21- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गाजीपुर।
22- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, आजमगढ़।
23- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, लो0नि0वि0, आजमगढ़।
24- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0इ0अनु(वि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
25- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ।
26- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।
27- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी।
28- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
29- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in